

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का.नि. 240.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997, जहां तक वे सलाहकार (विद्युत) के पद से संबंधित हैं, (2) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' भर्ती नियम, 1997, जहां तक वे निदेशक (जनशक्ति विकास) के पद से संबंधित हैं, (3) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (बागवानी) भर्ती नियम, 1989, जहां तक वे सलाहकार (बागवानी) के पद से संबंधित हैं, (4) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन) भर्ती नियम, 1989, जहां तक वे सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन) के पद से संबंधित हैं, और (5) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, (वर्ग 'क' और वर्ग 'ख') भर्ती नियम, 1985, जहां तक वे उप वित्त सलाहकार के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, में सलाहकार (विद्युत), सलाहकार (बागवानी), सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन), निदेशक (मानव संसाधन विकास और रोजगार) और उप वित्त सलाहकार के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले नियम बनाते हैं; नामतः

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :— (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना** :— ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
4. **भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि** :— उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
5. **निरर्हता** :— जिसने—
(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या
(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति** :— इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निदेशक (मानव संसाधन विकास और रोजगार)	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसूचित	रु. 12000-375-16500	लागू नहीं	लागू नहीं
(7)		(8)		(9)	(10)
लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं	सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कर्मियों के लिए दो वर्ष
(11)				(12)	

प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)
सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित) :—

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सांविधिक या स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी जो :—

(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 10000—15000 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से बैचलर डिग्री;

(ii) जनशक्ति योजना या विकास स्कीमों की तैयारी का दस वर्ष का अनुभव

सशस्त्र बल कर्मियों के लिए :

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष स्तर के कर्मिक जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हों और जो प्रतिनियुक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा। चयन हो जाने पर ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दी जाएगी जिस तारीख से वे सशस्त्र बल से कार्यमुक्त होने वाले हों। उसके बाद पुनर्नियोजन आधार पर उनकी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हों या रिजर्व के लिए स्थानांतरित हो गए हों तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी।

(सबलि पद के संदर्भ में अधिवर्षिता की तारीख तक पुनर्नियोजन)

[केन्द्रीय सरकार या किसी संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

(13)

वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र कार्मिकों के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :—

1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय —सदस्य

(14)

पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat)

Shillong, the 27th June 2005

G.S.R. 240.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession (1) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Group 'A'), Recruitment Rules, 1997 in so far as they relate to the post of Adviser (Power), (2) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Recruitment Rules, 1997 in so far as they relate to the post of Director (Manpower Development), (3) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Horticulture) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Adviser (Horticulture) (4) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management), and (5) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Deputy Financial Adviser, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Power), Adviser (Horticulture), Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management), Director (Human Resource Development and Employment) and Deputy Financial Adviser in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**— The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1	2	3	4	5	6
3. Director (Human Resource Development and Employment)	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500	Not applicable	Not applicable
7			8	9	10
Not Applicable			Not Applicable	Not Applicable	Two years for Armed Forces Personnel Re-employed
11			12		
Deputation (including Short Term Contract) For Armed Forces Personnel Deputation or Re-employment	<p>Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Ten years' experience of formulation of Manpower Planning or Development schemes.</p> <p>For Armed Forces Personnel : Deputation or re-employment ;</p> <p>The Armed Forces Personnel of the rank of Lt. Colonel or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one years and possessing the qualifications and experience considered. If selected such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis.</p> <p>(Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).</p> <p>(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>				

13

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Armed Forces Personnel reemployed) :—

1. Secretary, North Eastern Council Secretariat,
Shillong —Chairman
2. Joint Secretary, Ministry of Development
of North Eastern Region —Member

14

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.